

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2018

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री गोपाल कृष्ण, सभापति, प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-2018, समिति के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित नवम् प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य, विधान सभा, निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करेंगे :-

- 1- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर की राजीव गांधी नहर के पास स्थित सड़क आर.डी. कि.मी. 190 से 204 आरजीएलसी एवं जोधपुर-तिंवरी सड़क से इन्द्रोका-माणकलाव तक क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने बाबत् ।
- 2- विधान सभा क्षेत्र लूणी में ग्राम बोरानाड़ा मेन चौराहा एवं बोरानाड़ा औद्योगिक क्षेत्र झंवर फांटा पर बस स्टैण्ड, यात्रि विश्राम गृह बनाने बाबत् ।
- 3- विधान सभा क्षेत्र लूणी के राजस्व गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खुलवाने बाबत् ।
- 4- विधान सभा क्षेत्र लूणी स्थित औद्योगिक क्षेत्र-बोरानाड़ा, पाल शिल्प ग्राम, दर्इजर एवं मण्डोर में रीको द्वारा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराये जाने बाबत् ।

(II) श्री दर्शन सिंह, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र कोलायत, जिला-बीकानेर में कतिपय स्थानों पर मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण कराये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(III) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के चांदणा भाखर और राजीव गांधी नगर कच्ची बस्ती में स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भूमि आवंटन के लम्बित प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण करवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(IV) श्री संदीप शर्मा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र कोटा(दक्षिण) में कोटा शहर के न्यू मेडीकल कॉलेज अस्पताल परिसर में शिशु एवं मातृ चिकित्सालय खुलवाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

..2..

(V) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के मण्डाना एरिया की कतिपय ग्राम पंचायतों में चम्बल नदी की सिंचाई परियोजना बनाकर किसानों को लाभान्वित किये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

(VI) श्री अर्जुनलाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा के ग्राम बीनावास, बीरावास, सोवणिया, जसपाली, हर्ष, आदर्शनगरी बिलाड़ा, वार्ड नं0 10 पीपाड़ शहर, जालखा, जेलवा, रावर गांव, मुरकासनी, बड़ी कलां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. विधायी कार्य

वापिस लिया जाने वाला विधेयक

प्रवर समिति को निर्दिष्ट दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017

- (I) श्री गुलाबचन्द्र कटारिया, प्रभारी मंत्री प्रवर समिति को निर्दिष्ट निम्नांकित विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-38)

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को वापिस भी लेंगे ।

5. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-2019

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा :-

| <u>क्र.सं.</u> | <u>मांग संख्या</u> | <u>मुख्य शीर्षक</u> |
|----------------|--------------------|---------------------|
| 1. | 19 | - लोक निर्माण कार्य |
| 2. | 21 | - सड़कें एवं पुल |

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 19 फरवरी, 2018